न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 17/2015

बउनवान

हरदेव वल्द किशनलाल, जाति कुम्हार निवासी रूपपुरा, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

1. रामभरोस पुत्र जानकीलाल जाति धाकड़ निवासी रूपपुरा तहसील अन्ता, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश खंडेलवाल, अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (रेस्पोंडेंट कम 1)

निर्णय दिनांक– 24.05.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 19.03.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि ग्राम रूपपुरा की आराजी खसरा नंबर 502 की 0.97 है. पूर्व नंबर 154 रकबा 5 बीघा का आवंटन सन् 1988 में अपीलांट को हुआ था, आवंटन की सम्पूर्ण किश्तें अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई और अपीलांट को दिनांक 30.06.89 को दखल भी दिया जा चुका था। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट द्वारा जबरन कब्जा कर लेने पर अपीलांट द्वारा उसके विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में वाद कमांक 33/90 अंतर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट पेश किया जो दिनांक 30.03.2001 को अपीलांट के पक्ष में डिकी किया गया जिसकी पालना में पुनः अपीलांट को दिनांक 12.01.2012 को भूमि पर कब्जा दिया गया। उक्त भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। लेकिन राजस्व अधिकारी एवं पटवारी हल्का रूपपुरा द्वारा रेस्पोडेंट को उक्त आवंटित भूमि पर अतिकमी बताते हुये उसके नाम से फसल नीलाम कर खेत हांकने जोतने का पूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध भूमि पर अतिक्रमण कर उसकी फसल हांकने जोतने और फसल काटने चोरी ले जाने बाबत भी कार्यवाही की लेकिन अपीलांट की कार्यवाही में पुलिस द्वारा यह लिखकर खारिज कर दी कि रेस्पोडेंट तो सरकारी भूमि पर अतिकमी है। पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट को दिनांक 20.02.2015 को धारा 91 ले0रे0 एक्ट के तहत अतिकमी बताते हुए नोटिस दिया और तहसीलदार अन्ता द्वारा दिनांक 19.03.2015 को रेस्पोडेन्ट को अतिकमी मानते हुए फसल नीलामी व जुर्माने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से अपीलांट के सांपत्तिक अधिकारों में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 19.03.2015 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि विवादित भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट को धारा 91 ले0रे0 एक्ट एवं धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत किसी प्रकार का नोटिस जारी नही करे।

Signature Not Verified

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को विवादित आराजी आवंटित की जाकर दखल दिया गया था तथा उक्त आराजी अपीलांट के गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटित आराजी पर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नही है। अपीलांट को आवंटित आराजी पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दखलदांजी करने पर अपीलांट ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में वाद क्रमांक 33/90 अन्तर्गत धारा 188 आर.ट.एक्ट पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2001 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलांट का वाद डिक्री किया गया। निर्णय/डिक्री दिनांक 30.03.2001 की पालना में अपीलांट को दिनांक 12.01.2012 को पटवारी हल्का द्वारा पुनः कब्जा संभलाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी सरकारी भूमि ना होकर अपीलांट को आवंटित तथा उसकी गैर खातेदारी में दर्ज आराजी है जिस पर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत की गई कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 19.03.2015 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि विवादित भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट को धारा 91 ले0रे0 एक्ट एवं धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत किसी प्रकार का नोटिस जारी नही करे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि ग्राम रूपपुरा की आराजी खसरा नंबर 502 रकबा 0.97 है. में से 0.32 है. किस्म बंजड़ पर अतिक्रमण कर फसल गेंहू बोने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध नोटिस अन्तर्गत धारा 22 कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 जारी किया जाकर कार्यवाही की गई है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का बहैसियत अतिक्रमी कब्जा काश्त है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 502 रकबा 0.97 है. ग्राम रूपपुरा मुताबिक पटवारी रिपोर्ट सिवायचक बंजड़ भूमि है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 कार्यवाही की गई है। अपीलांट ने स्वंय अपील में यह स्वीकार किया है कि उक्त आराजी अपीलांट के गैर खातेदारी में दर्ज रही है, परन्तु अपीलांट ने इस बाबत कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि गैर खातेदारी में दर्ज आराजी सिवायचक बंजड़ किस प्रकार दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested